

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहनलाल  
किस्म मुकदमा – वाद

विपक्षी : श्री भेरा  
पत्रावली संख्या : 38 / 22  
जीसीएमएस : 2022 / 86

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 08.11.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को प्रातः 11 बजे, दोपहर 12:00 बजे, दोपहर 02:00 बजे, सांयः 04:00 बजे, सांयः 05:00 बजे बार-बार आवाजे दिलवाई गई, परन्तु अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित रहे। पत्रावली वर्ष 2022 से वारिस कायमी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के जवाब में लम्बित हैं। अधिवक्ता वादीगण द्वारा बार-बार वारिस कायमी के अवसर लिये गये परन्तु वारिस कायमी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। आज दिनांक को अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहे। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण मय अधिवक्ता अपने वाद के प्रति गम्भीर नहीं हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

